कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़
वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19,
नवा रायपुर अटल नगर–492002

–:: **आदेश** ::–

नवा रायपुर दिनांक **अगस्त, 2026**

जिला आबकारी अधिकारी जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा अपने पत्र क्रमांक/आब./अप./2026/65721 एवं 1396 दिनांक 04.08.2026 के माध्यम से श्री पी.माधव राव, आबकारी उपनिरीक्षक के संबंध में निम्नानुसार प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है।

1/ दिनांक 02.08.2026 को स्थानीय जनप्रतिनिधि से देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान रोहासी के विदेशी मदिरा दुकान काउंटर पर अधिक दर पर मदिरा विक्रय की शिकायत प्राप्त हुई जिस पर कार्यावाही हेतु संबंधित दुकान एवं वृत्त के प्रभारी श्री पी.माधव राव. आबकारी उपनिरीक्षक को जांच हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर संबंधित अधिकारी द्वारा देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान रोहासी के देशी मदिरा विक्रय काउंटर में अधिक दर पर मदिरा विक्रय का प्रकरण कायम किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की गई। इस प्रकार संबंधित आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा मूल शिकायत को नजर–अंदाज किया गया। उक्त अपूर्ण कार्यवाही पर स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा असंतोष जाहिर किया गया।

2/ उक्त शिकायत की जांच हेतु पुनः दो सहायक जिला आबकारी अधिकारियों, को जांच हेतु भेजे जाने पर देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान रोहासी के सी.सी.टी.वी. कैमरा में रिकार्डिंग त्रुटी पूर्ण होना पाया गया जिसके कारण संबंधित आबकारी उपनिरीक्षक के द्वारा की गई कार्यवाही का सी.सी.टी.वी. में अवलोकन नहीं किया जा सका परंतु संबंधित आबकारी उपनिरीक्षक श्री पी.माधव राव के द्वारा सी.सी.टी.वी. में सुधार करवाने बाबत् जिला कार्यालय को कभी सूचित नहीं किया गया है।

3/ इस प्रकार श्री पी.माधव राव, आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा मूल शिकायत के अनुरूप कार्यवाही न किया जाना एवं मदिरा दुकान की सी.सी.टी.वी. को अद्यतन नहीं रखा जाना उनके कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं शिथिल नियंत्रण का परिचायक है जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के सर्वथा प्रतिकूल एवं दंडनीय है।

अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के अंतर्गत **श्री पी.माधव राव, आबकारी उपनिरीक्षक** को तत्काल प्रभाव से निलंबित

किया जाता है तथा निलंबन काल में उनका मुख्यालय, कार्यालय उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता रायपुर संभाग, रायपुर (छ.ग.) रहेगा।

5/ निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

Digitally signed by
PADUM SINGH ALMA
Date: 04-08-2026
20:05:19

आबकारी आयुक्त
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ.क्रमांक/आब./अपराध/2026/ .नवा रायपुर दिनांक अगस्त, **2026**

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर (आबकारी), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला आबकारी अधिकारी, जिला–बलौदाबाजार (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. कोषालय अधिकारी, जिला–कोषालय, जिला जिला–रायपुर/बलोदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. श्री पी माधव राव आबकारी उप निरीक्षक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला–बलोदा बाजार–भाटापारा (छ.ग.) की ओर पालनार्थ प्रेषित।
7. कार्यालय प्रति।

सही/–
आबकारी आयुक्त
छत्तीसगढ़, रायपुर